



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-654

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 158042 दिनांक 05/01/2024 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	BODURAM MEENA S/o JAGDISH MEENA एवं PAHLAD S/o JAGDISH	श्री बोद्धू श्री प्रहलाद पुत्रान स्व. श्री जगदीश एवं श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी स्व. श्री जगदीश	9/AE/902	12.50 SQ. METER	JDA	RING ROAD PROJECT (ZONE-09) Sector/Block-A	Name Transfer	आवेदकगण द्वारा पत्रावली रिआपन करवायी गयी है। पूर्व में वर्ष 2024 में आवेदक द्वारा नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया था। प्रकरण का अवलोकन फरमावे। आवेदकगण द्वारा पत्रावली रिआपन करवायी गयी है। जविप्रा की रिंग रोड परियोजना के भूखण्ड सं. 9/AE/902 क्षेत्रफल 12.5 व.मी. का पट्टा विलेख दिनांक 02.01.2013 को श्री बोद्धू श्री प्रहलाद पुत्रान स्व. श्री जगदीश एवं श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी स्व. श्री जगदीश के पक्ष में जारी हुये। श्रीमती प्रभाती देवी की मृत्यु दिनांक



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

29.07.2023 को होने पर उनके वारिसों श्री बोदू श्री प्रहलाद पुत्रान स्व. श्री जगदीश द्वारा शपथ पत्र संलग्न कर नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया है। आवेदक द्वारा अपलोड सभी चैन ऑफ डा ँक्यूमेंट्स की फोटो प्रति अपलोड की गयी है। अतः पत्रावली अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. BODURAM MEENA S/o JAGDISH MEENA एवं PAHLAD S/o JAGDISH को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।